XIV-Form No. 563.

(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–134 / 2001

1. माला देवी, पति–स्व0 उदय चन्द्र गुप्ता एवं अन्य, साकिन–हृदयनगर, थाना–बनमनखी, जिला– पूर्णियाँ.....

आवेदिका

बनाम्

देवनारायण ततमा, पिता–भुवनेश्वरी ततमा, साकिन–मन्दिर टोला, राधानगर, थाना–बनमनखी, जिला– पूर्णियाँ.....

विपक्षी

आदेश

अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ द्वारा नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या– 7 / 1994–95 में दिनांक–12.09.1995 को पारित आदेश के विरूद्व आवेदक मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका C.W.J.C. N0-10763/1995 दायर किया था। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को रद्द किया गया एवं वाद के निष्पादन हेतु इस न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश प्राप्त होने पर आवेदिका यह वाद दायर किया है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय का नामान्तरण अपील वाद सं0–116 / 1991 एवं 117 / 1991 प्रश्नगत जमीन मौजा–राधानगर, खाता सं0–171 खेसरा सं0–1291 से संबंधित है और दोनों वाद में प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। आवेदिका ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत जमीन का खतियान निरंजन कुमार गुप्ता, देव कुमार गुप्ता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से दर्ज था। प्रश्नगत जमीन आपसी बंटवारा में देव कुमार गुप्ता को प्राप्त हुआ। आवेदक तत्कालीन भूस्वामी देव कुमार गुप्ता से दिनांक–04.06.1966 को रजिस्टर्ड केवाला द्वारा खरीदकर अपने नाम से नामान्तरण करवाकर दखलकार हुआ। विपक्षी अंचल कर्मचारी को मेल में लेकर एक भ्रामक दानपत्र के आधार पर प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण आने नाम से करवा लिया। अंचल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम नामान्तरण करने से पूर्व न तो जमीन मालिक को सूचित किया गया, न ही स्थल जॉच किया गया और न ही विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दानपत्र के सत्यता का जॉच करवाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सभी आवश्यक बिन्दुओं पर जॉच कर अंचल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम नामान्तरण को रद्द कर दिया गया। फलस्वरूप विपक्षी अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु वाद दायर किया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी के नाम नामान्तरण को वैध घोषित किया गया।

आवेदिका का कथन है कि दानपत्र के सम्पुष्टि के लिए भुदान कार्यालय के पदाधिकारियों को संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी दिया गया, फिर भी भुदान कार्यालय द्वारा न तो जमीन के दान में देने का प्रमाण दिया गया और न ही स्वयं उपस्थित हुए।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः आवेदकगण इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख देखकर एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर विपक्षी के नाम अंकित नामान्तरण को रद्द करने की कृपा की जाय।

दिनांक 19.07.2010 को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया। स्पष्ट तामिला के बाबजूद भी कई दिनों से विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है, इसलिये उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी पूर्व में भी लगातार अनुपस्थित रहे। इसलिये दिनांक 17.05.2010 को अंतिम मौका देते हुए अगली तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। इससे स्पश्ट है कि विपक्षी के द्वारा इस वाद में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है एवं इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

पुनः दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं आवेदक को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इस आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के द्वारा निर्गत आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को स्वीकृति देते हुए विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत पाया जाता है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता हैं इस निर्णय के साथ वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ